

कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उत्तर प्रदेश।

परिपत्रांक:सी- ५५ / बीज-उर्वरक/के-82/2017-18/दिनांक लखनऊ अक्टूबर, 16, 2017

- 1-समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता उ०प्र०।
- 2-समस्त सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला सहकारी बैंक लि० उ०प्र०।
- 3-समस्त जिला प्रबन्धक, पी०सी०एफ०, उ०प्र०।

प्रबन्ध निदेशक, पी०सी०एफ०, लखनऊ के पत्रांक 14782/ दिनांक 11.10.2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि अपर कृषि निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र) उ०प्र० ने अपने कार्यालय पत्रांक एसएफ/1106 टी/जी-9/बीज दर/रबी 2017-18 दिनांक 08.09.2017 द्वारा रबी वर्ष 2017-18 के लिए समस्त स्रोतों से प्राप्त प्रमाणित बीजों की फुटकर विक्रय दर निम्नवत निर्धारित किये गये हैं :- (प्रति कु०)

क्र.	फसल/प्रजाति	फुटकर विक्रय दर
1	गेहूँ (समस्त प्रजाति)	रु० 3260.00 (तीन हजार दो सौ साठ मात्र)
2	जौ (समस्त प्रजाति)	रु० 3120.00 (तीन हजार एक सौ बीस मात्र)
3	चना (समस्त प्रजाति)	रु० 9830.00 (नौ हजार आठ सौ तीस मात्र)
4	मटर (समस्त प्रजाति)	रु० 4780.00 (चार हजार सात सौ अस्सी मात्र)
5	मसूर (समस्त प्रजाति)	रु० 7760.00 (सात हजार सात सौ साठ मात्र)

उक्त क्रम में अधोलिखित विवरणानुसार रबी बीजों के समितियों को आपूर्ति एवं फुटकर बिक्री दर संसूचित की जा रही है :- (धनराशि रु० में)

क्र	नाम फसल/प्रजाति	कृषि विभाग द्वारा निर्धारित फुटकर बिक्री दर प्रति कु०	समिति का मार्जिन फुटकर बिक्री दर का 7 % प्रति कु०	पीसीएफ/जूट संघ द्वारा समितियों को आपूर्ति दर प्रति कु०	समितियों द्वारा कृषकों को फुटकर बिक्री दर प्रति कु०
	गेहूँ (समस्त प्रजाति)	3260.00	228.20	3031.80	3260.00
	चना (समस्त प्रजाति)	9830.00	688.10	9141.90	9830.00
	मटर (समस्त प्रजाति)	4780.00	334.60	4445.40	4780.00

प्रमाणित बीज समितियों तक अपने व्यय पर पहुंचाने का दायित्व पीसीएफ/जूट संघ (जैफेड) का होगा। आपूर्ति किये गये बीजों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त

होने पर पीसीएफ/जूट संघ (जैफेड) उसे वापस करने की व्यवस्था करेगा। अवितरित शेष बीज को भी पीसीएफ/जूट संघ (जैफेड) अपने व्यय पर समिति से वापस मंगायेगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि रबी अभियान वर्ष 2017-18 में प्रमाणित बीजों को उक्त दरों पर वितरित कराना सुनिश्चित करें।

*Ajaya Chohan*

(अजय चौहान)

आयुक्त एवं निबन्धक,  
सहकारिता उ०प्र०,  
लखनऊ।

परिपत्रांक-सी-५५

/बीज-उर्वरक/के-82/दिनांकित।

प्रतिलिपि :- अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त उप आयुक्त एवं उपनिबन्धक, सहकारिता उ०प्र०।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक पी०सी०एफ० उ०प्र०।
3. वरिष्ठ राज्य विपणन प्रबन्धक, कृमको विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ।
4. प्रबन्धक निदेशक उ० प्र० राज्य बीज विकास निगम लि० सी-973/74 बी-महानगर लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक उ०प्र० जूट एवं कृषि विकास संघ लि० लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, पीसीएफ लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि० लखनऊ।
8. अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक (कम्प्यूटर/वेबमास्टर) को इस आशय से कि इस परिपत्र को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित तथा समस्त सम्बन्धित सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक/उप आयुक्त एवं उप निबन्धक के ई-मेल पर भी प्रेषित कराने का कष्ट करें।
9. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि भवन लखनऊ।
10. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
12. प्रमुख सचिव, कृषि उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
13. अपर मुख्य सचिव, सहकारिता उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।

५

(राम प्रकाश)

अपर आयुक्त एवं अपरनिबन्धक(कृ०नि०),  
सहकारिता उ०प्र०, लखनऊ।